प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 06 फरवरी, 2020

विषय:-उदय योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत प्रतिभूति के सापेक्ष स्वीकृत ब्याज रहित ऋण को अनुदान में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1367/मु0म0प्र(वित्त)/निधि-।।/आय-व्ययक/2019-20/341, दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-56/2018/965/24-1-19-902(बजट)/2018, दिनांक 24 अप्रैल, 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुस्तक समायोजन के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रूपये 4891,72,00,000/- (रूपये चार हजार आठ सौ इक्यान्नवें करोड़ बहत्तर लाख मात्र) का वर्गीकरण लेखाशीर्षक 6801-00-205-00-03- के अन्तर्गत जमा किये जाने से अत्याधिक ऋणात्मक अवशेष प्रदर्शित होने की स्थिति में उक्त को ऋण हेतु दर्शित वर्गीकरण के अन्तर्गत लेखार्शीषक 6801-00-190-03-01-30 में किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपरोक्त निर्गत शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 2018 के प्रस्तर-6 द्वारा होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता-02-उदय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी बंधपत्रों (2015-16 एवं 2016-17) के-25 प्रतिशत के समतुल्य यू0पी0पी0सी0एल0 को स्वीकृत ब्याज रहित ऋण का अनुदान में परिवर्तन - 20 - सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा तथा अनुदान में परिवर्तित धनराशि को लेखाशीर्षक" 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-205- संचरण तथा वितरण-00-03-विद्युत वितरण कम्पनियों को 'उदय' योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत बन्धपत्रों से प्राप्त धनराशि के 25 प्रतिशत अंश के समतुल्य स्वीकृत ब्याज रहित ऋण की वापसी के अन्तर्गत जमा किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

3- अत: उक्त स्वीकृत शासनादेश संख्या-56/2018/965/24-1-19-902(बजट)/2018, दिनांक 24 अप्रैल, 2018 के प्रस्तर-6 को संशोधित करते हुए निम्नवत पढ़ा जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता-02-उदय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी बंधपत्रों (2015-16 एवं 2016-17) के-25 प्रतिशत के समतुल्य यू0पी0पी0सी0एल0 को स्वीकृत ब्याज रहित ऋण का अनुदान में परिवर्तन - 20 - सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा तथा अनुदान में परिवर्तित धनराशि को लेखाशीर्ष "6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-190- सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता-03-विद्युत वितरण कम्पनियों को 'उदय' योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत बन्धपत्रों से प्राप्त धनराशि के 25 प्रतिशत अंश के समतुल्य स्वीकृत ब्याज रहित ऋण की वापसी-01- पूर्व राज्य विद्युत परिषद को दिये गये ऋण की वसूली" के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

5- उपरोक्त के अतिरिक्त शासनदेश दिनांक 24 अप्रैल, 2018 में इंगित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 12 /दस-2020, दिनांक 05 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

महावीर प्रसाद गौतम
उप सचिव।

<u>संख्या- 14 /2020/2319(1)/24-1-19, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

महावीर प्रसाद गौतम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in